

संपत्ति-अवभार प्रमाण पत्र

अनुसूची 21-प्रपत्र संख्या

प्रमाण-पत्र सं०.....00100/2025.

आवेदन सं०.....00100/2025.

चूंकि श्रीमती/श्री--**RAKESH RANJAN (DIR.), S/O,W/O,D/O - GENX INFRACON PVT LTD.**-----

----- ने मेरे पास आवेदन किया है निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित व्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में दिनांक - **1.1.2012 TO 9.1.2025**-----

----- तलाशी की गई और ऐसी तलाशी की गई और तलाशी के बाद निम्न व्यवहारों और अवभारों का पता चला है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauja- KOTHWAN Thana No-37 Circle-DANAPUR Khata-153 Khesra-330 Area-28.019 DEC. Dist-PATNA -							

(क) अवलोकन के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दरें और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टी की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें। (कृ.पृ.उ.)

Gen x Infracon Pvt. Ltd.

Rakesh Ranjan
Director

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उर्पयुक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी संव्यवहार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया-

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :- लिपिक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :-

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :- लिपिक

कार्यालय :- अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, पटना।

तारीख:-9.1.2025

(निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

टिप्पणी :-

1. इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण देकर किन्हीं इन संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणीयों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विविर्दिष्ट संपत्तियों के प्रमाण-पत्रों के जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणीयों उनके सामने रख दी जायेगी।
- ✓ (क) किन्तु, चूँकि वर्तमान मामलों में आवेदक ने स्वयं तलाशी किया है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग द्वारा किये गये तालाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होता।
- ✓ (ख) और, चूँकि वर्तमान मामलों में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा, जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हों।

अवर निबंधक, दानापुर, पटना

पत्रांक:-00100

सेवा में,

दिनांक:-9.1.2025

शाखा प्रबंधक, -AXIS BANK,RAC,PATNA-----

के पत्रांक-AXIS/NEC

दिनांक:-9.1.2025

के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर निबंधक,
दानापुर, पटना।